बिहार सरकार,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा.....

पत्रांक–प्र0–06–विविध–04/14 4187 / पटना, दिनांक 09/07/2014

समाहरणालय 10 2014

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य में 1 फरवरी, 2014 के प्रभाव से खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू कर दिया गया है एवं माह मार्च, 2014 से निर्धारित मानक के अनुसार पहचान किये गये पात्र गृहस्थियों को खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है । आप अवगत है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में पात्र गृहस्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के प्रारूप के आधार पर किया गया है । खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र सं0– 03 दिनांक 01.01.2014 द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना से पात्र परिवारों की पहचान हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये है । इस आधार पर पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले गृहस्थियों को नया राशन कार्ड मुद्रित कराकर वितरण करने हेतु व्यापक दिशा–निदेश पत्र सं0– 8136 दिनांक 27.12.2013 द्वारा दिया गया है । जिला स्तर पर पात्र परिवारों की सूची तैयार करने एवं राशन कार्ड वितरण के दौरान कतिपय त्रुटियाँ दृष्टिगत हुई है । इसके अन्तर्गत पात्रता रखने वाले गृहस्थी का नाम सूची में शामिल नहीं रहने एवं मुद्रित राशन कार्डो में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि प्रमुख रूप से शामिल है । इस स्थिति में इन समस्याओं का ससमय निराकरण कर लेना आवश्यक है।

अतः खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय :–

1. सभी नगर–निकायों/पंचायतों में बचे हुए राशन कार्डो का वितरण संबंधित लाभुक गृहस्थियों के बीच हर हाल में 15 जुलाई, 2014 तक कर दिया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त राशन कार्ड वास्तविक लाभुक को ही प्राप्त हुआ है ।

426
19/8/14

C:\Users\Supply\Desktop\SECC.doc

2. जिलान्तर्गत पूर्व से लक्ष्य के अनुसार अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत चयनित गृहस्थियों को पूर्ववत् उक्त योजना में रखते हुए सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की डाटा से पात्र गृहस्थियों की श्रेणी से उन्हें अलग कर सूची बनाने एवं उक्त गृहस्थियों के पहचान के पश्चात् अवशेष पात्र गृहस्थियों में से पूर्विकताप्राप्त गृहस्थियों की सूची तैयार करने हेतु दिशा–निदेश दिया गया है । अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत गृहस्थियों को पूर्व में ही राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है । अतः अंतरिम व्यवस्था के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों के लाभुकों को पूर्व की भांति प्रति माह 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न उनके पास पूर्व से उपलब्ध पीले राशन कार्ड पर आपूर्ति की व्यवस्था प्रभावी की जाय। किसी भी परिस्थिति में कोई परिवार दोहरा लाभ नहीं ले सके, इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी को जिम्मेवारी दी जाय ।
3. वैसे प्रगणक प्रखंड/पंचायत जिनके राशन कार्ड बड़ी संख्या में तकनीकी त्रुटियों के कारण मुद्रित तथा वितरित नहीं हो पाये हैं इनकी पहचान कर ECIL/NIC के माध्यम से तकनीकी त्रुटियों को दूर करते हुए राशन कार्ड का मुद्रण एवं वितरण दिनांक 31.07.2014 तक सुनिश्चित किया जाय ।
4. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 अन्तर्गत सर्वेक्षित ऐसे परिवार जो निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पात्रता रखने के बावजूद छूटे हुए है, उन गृहस्थियों के संबंध में प्राप्त आपत्ति आवेदनों का त्वरित गति से जांच कर COTS के माध्यम से आवश्यक संशोधन करना सुनिश्चित किया जाय । जिन गाँवों/पंचायतों से ज्यादा शिकायत प्राप्त हो रही हो वहां विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए परिवारों से आपत्ति प्राप्त करते हुए उनका निष्पादन किया जाय। संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि पूर्विकताप्राप्त परिवार की पात्रता रहने के बावजूद कई परिवार खासकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रहें।
5. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक–03 दिनांक 01.01.2014 के द्वारा नगर/ग्रामीण क्षेत्र में पात्र गृहस्थियों के लिए निर्धारित मानदण्ड प्रचारित किया गया है परन्तु राशन कार्ड वितरण के संबंध में क्षेत्र से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिसमें सरकारी सेवक/आयकर दाता/सेवा कर दाता/तीन पहिया–चार पहिया वाहन मालिक आदि जैसी सुविधा वाले परिवारों के नाम से भी राशन कार्ड मुद्रित हो गयी है । अतः उक्त पत्र द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर ऐसे मामलों की पहचान कर सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सूची में COTS के माध्यम से आवश्यक संशोधन किया जाय ।
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिलान्तर्गत पहचान किये गये पात्र गृहस्थियों को राशन कार्ड न मिलने/त्रुटिपूर्ण मिलने की स्थिति में निम्नांकित कार्रवाई अपेक्षित है :–
   i. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के प्रारूप सूची के विरूद्व दावे/आपत्तियों के निष्पादन का कार्य जिलों में कराया जा

रहा है । सूची में नाम दर्ज कराने हेतु पात्रता रखने वाले गृहस्थी से विहित प्रपत्र 'C' में प्राप्त कर इसका निष्पादन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी निर्देशों के तहत COTS के माध्यम से दिनांक 31.07.2014 तक कर लिया जाय ।

ii. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सूची में नाम होने के बावजूद राशन कार्ड की मांग करने वाले गृहस्थियों की प्रारूप सूची में अंकित विशिष्टियों की जांच कर अवगत करा दिया जाय एवं उनके द्वारा इसमें कोई सुधार हेतु आवेदन दिया जाय तो उसका निष्पादन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाय ।

iii. राशन कार्ड सादा रहने की स्थिति में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर राशन कार्ड निर्गत करने हेतु जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है ।

7. वितरित राशन कार्ड के आधार पर सभी पंचायतों में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर पात्र गृहस्थियों को निर्धारित मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न दिवस मनाते हुए खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित किया जाय तथा बैकलॉग की स्थिति को 31 अगस्त, 2014 तक समाप्त करना सुनिश्चित किया जाय ।

8. बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा संचालित वेवसाईट www.sfc.bihar. gov.in के माध्यम से दैनिक रूप से खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की निगरानी की जाय ।

9. प्रखण्ड स्तरीय गोदाम प्रबंधक के रिक्त पदों पर प्रखण्ड स्तरीय पर्यवेक्षकों को चिन्हित करते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति की जाय ताकि सप्ताह में प्रति दिन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को खाद्यान्न का वितरण किया जा सके ।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
[signature]
मुख्य सचिव

ज्ञापांक– प्र0–06–विविध–04 / 14 4187 / पटना, दिनांक 9/7/14

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

[signature] 9/7/14
मुख्य सचिव

ज्ञापांक 401 / आपूर्ति. मधेपुरा दिनांक 29.08.2014

प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / [illegible] सभी प्र0वि0 पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि जिला [illegible] अधिकारी मधेपुरा को [illegible] एवं सभी [illegible] को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

[signature] 28/8/2014
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
मधेपुरा